



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 4006 वर्ष 2026

कल्लू उर्फ महबूब

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

:रामाकार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –12

माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा थाना- गौरीगंज, जिला- अमेठी के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 01 वर्ष 2026, धारा 2(बी)(1), 2(बी)(xi)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गिरोह तालिका में प्रार्थी के विरुद्ध दो मामले दर्शाए गए हैं। सभी मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के अनुलग्नक-3 और 4 के रूप में अभिलेख पर हैं। गिरोह तालिका में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, प्रार्थी का एक मामले का पूर्व आपराधिक इतिहास है जिसे जमानत आवेदन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिच्छेद 11 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। प्रार्थी 10.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त, नामतः सैफ, जो गिरोह सरगना है, को इस न्यायालय की एक समवर्ती पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1891 वर्ष 2026 में दिनांक 19.03.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. इन तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए कि प्रार्थी 10.11.2025 से कारागार में है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त, उसका दो अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. प्रार्थी- **कल्लू उर्फ महबूब** को, जो उक्त वाद अपराध संख्या में शामिल है, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

(i) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला रहेगा।

(v) प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार भी एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा। 9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री जफ़ीर अहमद)

4 जून, 2026

रेनू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।